रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1989/पौष 5, 1911
No. 643] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1989/PAUSA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1989

सा. का. नि. 1063 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची—III

(नियम 3 देखिए)

शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंड

क्षेत्र कोड	क्षेत्र की श्रेणी	डेसिबल(ए) लेग सीमा	
		दिवस समय	रात्रि समय
(क)	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
(ख)	व्यावसायिक क्षेत्र	65	55
(ग)	आवासीय क्षेत्र	55	45
(घ)	शांत क्षेत्र	50	40

टिप्पण 1. दिन के समय को पूर्वाह्न 6 बजे से अपराह्न 9 बजे के मध्य गणना की जाती है।

टिप्पण 2. रात के समय को अपराह्न 9 बजे से पूर्वाह्न 6 बजे के मध्य गणना की जाती है।

टिप्पण 3 अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और न्यायालयों जैसे परिसरों के 100 मीटर आसपास के क्षेत्र को शांत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। शान्त क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किए जाएंगे। वाहनों के साथ ध्वनिविस्तारकों तथा पटाखे चलाने पर इन क्षेत्रों में प्रतिबन्ध होगा।

टिप्पण 4. क्षेत्रों की मिश्रित श्रेणियां को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त चार श्रेणियों में से एक के रूप में घोषित किया जाना चाहिए तथा संगत मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए"।

[फाइल सं. क्यू-15011/1/88—सी. पी. ए.]

डा. जी. सुन्दरम्, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :

मूल नियम तारीख 19 नवम्बर, 1986 के का. आ. सं 844(अ) के द्वारा प्रकाशित हुए। तत्पश्चात् नियमों का का. आ. 82(अ) तारीख 6 फरवरी, 1987; का. आ. 393(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1987; का. आ. 443(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1987 का. आ. 64(अ) तारीख 18 जनवरी, 1988, सा. का. नि. 919(अ), तारीख 12 सितम्बर, 1988; का. आ. 8(अ) तारीख 3 जनवरी, 1989 और सा. का. नि. 913(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 1989 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment , Forests and Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1989

G.S.R. 1063(E) :—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Enviornment (Protection) Third Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, after Schedule II, the following Schedule shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE III

(See rule 3)

AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS IN RESPECT OF NOISE

Area code	Category of Area	Limits in dB(A) Leq.	
		Day Time	Night Time
(A)	Industrial area	75	70
(B)	Commercial area	65	55
(C)	Residential area	55	45
(D)	Silence Zone	50	40

Note-1 Day time is reckoned in between 6 a.m., and 9 p.m.

Note-2 Night time is reckoned in between 9p.m, and 6 a.m.

Note-3 Silence zone is defined as areas upto 100 metres around such premises as hospitals, educational institutions and courts. The Silence zones are to be declared by the Competent Authority.
Use of vehicular horns, loudspeakers and bursting of crackers shall be banned in these zones.

Note-4 Mixed categories of areas should be declared as one of the four above mentioned categories by the Competent Authority and the corresponding standards shall apply".

[F. No. Q-15011/1/88-CPA]

DR. G. SUNDARAM, Jt. Secy

Foot-Note :—Principal rules were published vide S.O. No. 844(E), dated the 19th November, 1986. Subsequently amended by S.O. 82(E), dated the 6th February, 1987, S.O. 393(E), dated the 16th April, 1987, S.O. 443(E), dated the 28th April, 1987, S.O. 64(E), dated the 18th January, 1988, G.S.R. 919(E), dated the 12th September, 1988, S.O. 8(E), dated the 23rd January, 1989 and G.S.R. 913(E), dated the 24 Obtober, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989